**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**

**<u>24/7/2024</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 22/07/2024 को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड के रूप में चल संपत्तियां, लगभग 80.43 करोड़ रुपये के डीमैट खाते की होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं।

ईडी ने पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कई व्यक्तियों के खिलाफ ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में उच्च रिटर्न का झूठा प्रलोभन दिखाने और लोगों को ठगने के आरोप में जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि ऑक्टाफैक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत में भारत स्थित इकाई मेसर्स ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से काम कर रही है। उक्त ऐप (OCTAFX) और इसकी वेबसाइट को RBI द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार में डील करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। मेसर्स ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाएफएक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है, जिससे भारतीय क्षेत्र से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया गया है। इन निधियों का एक हिस्सा फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से स्तरीकृत किया गया था और फर्जी माल ढुलाई सेवाओं, सेवाओं के आयात आदि की आड़ में अपने संबंधित संस्थाओं को विदेश भेज दिया गया था। इन सभी गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन रूस, स्पेन, जॉर्जिया और दुबई में स्थित ऑक्टाएफएक्स समूह की संस्थाओं के मालिकों द्वारा किया जा रहा है। अब तक की गई जाँच और पहचाने गए अपराध की आय (पीओसी) के आधार पर, क्रिप्टो मुद्राओं, बैंक बैलेंस, सोने के सिक्कों आदि के रूप में लगभग 38 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा कुर्क की गई।

तलाशी अभियान में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों से धोखे से प्राप्त किए गए फंड का एक हिस्सा सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश के रूप में डाला गया है ताकि उन्हें वैध फंड के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इसके अलावा, यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए फंड ट्रांसफर करने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और एस्टोनिया में स्थित संस्थाओं का उपयोग किया। इसकी पुष्टि मशहूर हस्तियों और प्रोडक्शन हाउस ने की है जिन्होंने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर ऑक्टाएफएक्स के प्रचार अभियानों में भाग लिया है।

तलाशी अभियान के दौरान, यह भी पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स ने कई शेल कंपनियाँ बनाई हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग की सुविधा के नाम पर उनके बैंक खातों का उपयोग किया है। इन संस्थाओं ने भुगतान गेटवे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने और ऐसे आने वाले फंड की प्रकृति को

छिपाने के लिए उनके द्वारा बनाई गई धोखाधड़ी वाली ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से फंड को लेयर किया। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स ने लाभकारी स्वामी के विनियमों(बीओआर) को दरकिनार करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर बनाने में मदद करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। यह भुगतान एग्रीगेटर गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड को पुनर्निर्देशित करने में सहायक था, जिससे ऑक्टाएफएक्स को बेखबर निवेशकों से धन प्राप्त करने में मदद मिली। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/फ्रीजिंग की राशि 118 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।